अधिकारी
न्यायालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

मिसल नं. 2/119/2020 तारीख रजू........................

मिश्री ________ **बनाम** ~~हसमुण वगैरा~~ ________

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.08.2020	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल अपील के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे बकील सायल ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 115, 197/328, 205, 80, 197, 122, 111, वाके ग्राम रानोता तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 06.10..2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश कों दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 06.10.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) (मुहर: उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर))	
8/1/2021	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी के प्रा० पत्र पर पत्रावली मूल अपील के साथ अवलोकन हुई। मूल अपील अपील नं 2 के प्रा० पत्र पर शामिल हो गई है अतः प्रा० पत्र निगरानी शामिल किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर मौजूम से बाद हो शुमार (हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर)	